

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0-2/अ0प्र0-1-51/2023

37

/पटना, दिनांक- १५.५.२३

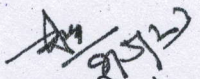
योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-569 अनु0 दिनांक-27.01.2023 द्वारा श्री बिजेन्द्र झा, तदेन कनीय अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मधेपुरा के विरुद्ध अस्थायी अग्रिम का समायोजन नहीं करने, अधूरे कार्य के लिए पूर्ण कार्य का लेखा समर्पित कर भुगतान प्राप्त करने, वसूलनीय राशि जमा करने हेतु निदेशित करने के बावजूद अबतक राशि जमा नहीं करने इत्यादि आरोपों के लिए आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी।

2. योजना एवं विकास विभाग द्वारा गठित आरोप पत्र के आधार पर विभागीय पत्रांक-623 अनु0 दिनांक-23.03.2023 द्वारा श्री बिजेन्द्र झा, तदेन कनीय अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मधेपुरा सम्प्रति कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सहरसा से स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री झा से प्राप्त स्पष्टीकरण को समीक्षोपरांत अस्वीकार योग्य पाते हुए गठित आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु इनके विरुद्ध संलग्न आरोप पत्र में वर्णित आरोपों पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का आदेश दिया जाता है।

3. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री भगवत राम, मुख्य अभियंता-4, ग्रामीण कार्य विभाग को संचालन पदाधिकारी तथा श्री मुकेश श्रीवास्तव, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, मुख्य अभियंता-4 का कार्यालय को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री बिजेन्द्र झा, तदेन कनीय अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मधेपुरा सम्प्रति कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सहरसा से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के पश्चात् किसी भी समय जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें स्वयं उपस्थित हो।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस कार्यालय आदेश की एक प्रति संचालन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक सहित जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

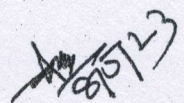

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :-2/अ0प्र0-1-51/2023

/पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ श्री भगवत राम, मुख्य अभियंता-4-सह-संचालन पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अविलंब विभागीय कार्यवाही आरंभ कर दी जाय तथा 45 दिनों के अंदर विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ तीन प्रतियों में एवं कार्यवाही अभिलेख विभाग को समर्पित करने की किया जाय।


अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :-2/अ0प्र0-1-51/2023

/पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ श्री मुकेश श्रीवास्तव, सहायक अभियंता-सह-प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, मुख्य अभियंता-4 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं श्री बिजेन्द्र झा, तदेन कनीय अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मधेपुरा सम्प्रति कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :-2/अ0प्र0-1-51/2023

113D

/पटना, दिनांक:-

3.5.23

प्रतिलिपि:- विभागीय आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने तथा प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-4 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख